



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223111  
CG-DL-E-17112020-223111

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]  
No. 587]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 718(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

		<p>प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100-177500 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9(53100-167800 रुपये) और स्तर-8(47600-151100 रुपये) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(v) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखता हो :</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अंतर्गत पुस्तकालय में पाँच वर्षों का वृत्तिक अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अंतर्गत पुस्तकालय में पुस्तकालय क्रिया-कलापों के कंप्यूटरीकरण का एक वर्ष का अनुभव।</p>	<p>शामिल होंगे:</p> <p>1. उप महानिदेशक(चिकित्सा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य;</p> <p>3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।</p>	<p>आवश्यक है।</p>
--	--	--------------------------	---	---	-------------------

		<p>(ii) विभाग या मंत्रालय के विशिष्ट क्षेत्रों के क्रिया-कलापों, अर्थात् तकनीकी या वैज्ञानिक, में एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, यदि कोई हो।</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में डिप्लोमा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> बाहरी अभ्यर्थियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400 रुपए) में विभागीय वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक, जिन्होंने उस ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और जो प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, पर विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति हेतु उनके चयन होने पर पद को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3.-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

[फा. सं. ए.12018/53/2017- एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

**G.S.R. 718(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Library and Information Officer** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Library and Information Officer** (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library and Information Officer.	1* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix  (Rs. 67700 – 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By deputation (including short term contract) or promotion.	Deputation (including short term contract) or promotion: <b>Note:</b> Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes or autonomous or statutory organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500)	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General (Medical), Directorate General of Health Services – Chairman; 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

			<p>or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800) and level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(v) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400 -112400) or equivalent in the parent cadre or department. and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute;</p> <p>(ii) five years professional experience in a Library under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes or autonomous or statutory organisation.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) One year experience of computerizing Library activities in Library under Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes or autonomous or statutory organisation.</p> <p>(ii) One year professional experience in the specific areas of activities of the Department or Ministry viz technical or scientific, if any.</p> <p>(iii) Diploma in Computer application from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental Senior Library and Information Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400) with ten years of</p>	<p>3. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services – Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

[F. No. A.12018/53/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser